

न्यायालय—सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क.क्रमांक—73/2009  
 संस्थित दिनांक—16.02.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आबकारी वृत्त बैहर

तहसील—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

शिवानी पति शिवप्रसाद, उम्र 40 वर्ष,

जाति कलार, साकिन परसवाड़ा,

थाना व तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट — — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—14/08/2014 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा—16(4)(स), 34(1)(क), 45 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—07.02.2009 को 4:45 बजे, स्थान जलपान गृह परसवाड़ा, थाना परसवाड़ा अन्तर्गत में राज्य सरकार द्वारा प्रतिषेधित मादक द्रव्य 03 पाव मेकडावल (180 एम.एल.), एक बोतल बीयर (650 एम.एल.) को अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के पूर्व दोषसिद्ध के पश्चात् रखा।

2— संक्षेप में अभियोजन का सार इस प्रकार है कि आबकारी वृत्त बैहर आरक्षी केंद्र परसवाड़ा के आबकारी उपनिरीक्षक सीमा कश्यप को दिनांक—07.02.2009 को गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि आरोपी अपने जलपान गृह में शराब का अवैध व्यापार करती है, जिस पर उसके द्वारा मौके पर जाकर साक्षियों के समक्ष तलाशी ली गई तो आरोपी के कब्जे से बिना अनुज्ञप्ति के द्रव्य 03 पाव मेकडावल रम (180 एम.एल.), एक बोतल बीयर (650 एम.एल.) शराब को अवैध रूप से रखी पायी गई। आरोपी द्वारा उक्त कृत्य पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् किये जाने पर आबकारी वृत्त बैहर द्वारा आरोपी के विरुद्ध आबकारी अपराध क्रमांक—197/2009 अंतर्गत धारा—16(4), 34(1), 45 आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए, आरोपी से मदिरा जप्तकर परीक्षण कराया गया तथा अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

3— आरोपी को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-16(4)(स), 34(1)(क), 45 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-07.02.2009 को 4:45 बजे, स्थान जलपान गृह परसवाड़ा, थाना परसवाड़ा अन्तर्गत में राज्य सरकार द्वारा प्रतिषेधित मादक द्रव्य 03 पाव मेक्डावल (180 एम.एल.), एक बोतल बीयर (650 एम.एल.) को अपने जलपान गृह में अवैध रूप से कब्जे में रखा ?
2. क्या आरोपी ने उक्त समय व स्थान पर अपने आधिपत्य में मादक द्रव्य 03 पाव मेक्डावल (180 एम.एल.), एक बोतल बीयर (650 एम.एल.) को अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के रखा ?
3. क्या आरोपी ने उक्त समय व स्थान पर धारा-34(1)(क) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् अपने कब्जे में अवैध रूप से 03 पाव मेक्डावल (180 एम.एल.), एक बोतल बीयर (650 एम.एल.) को रखा?

#### विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— सीमा कश्यप (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-07.02.2009 को आबकारी वृत्त बैहर में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को वह अपने सर्किल के गश्त पर थी। उक्त दिनांक को उसे मुखबीर द्वारा सूचना दी गई कि आरोपी शिवानी शराब का अवैध व्यवसाय करती है। उक्त सूचना पर वह आरोपी के जलपान गृह गई, जलपान गृह में 3 पाव 180 एम.एल के मैक्डावल रम एवं 650 एम.एल. क्षमता वाली एक बोतल बीयर की मिली। उसने तलाशी लेने के पूर्व स्वयं की जामा तलाशी दी थी, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। तलाशी बाबत पंचनामा प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त शराब की उसने जांच की थी, जिस पर उसने शराब होना पाया था। उसके पश्चात् साक्षियों के समक्ष सील बंद कर कब्जा में लिया था। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी के पास उक्त शराब बेचने के संबंध में कोई लायसेंस नहीं था। आरोपी के द्वारा पूर्व में भी शराब अवैध रूप से बेचे जाने के संबंध में प्रकरण बनाया गया था। आरोपी के विरुद्ध पूर्व अपराध के संबंध में न्यायालय से दिनांक-24.04.2008 को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था,

जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उसने चालान के साथ संलग्न किया गया जो प्रदर्श पी-6 है। उक्त शराब को साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 तैयार की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा विधिवत् कार्यवाही पूर्ण कर चालानी फार्म प्रदर्श पी-5 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जलपान गृह किस स्थान पर है उसका उल्लेख जप्ती पंचनामा में नहीं किया गया है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कथित जप्ती वाले स्थान का विवरण पेश नहीं किया है तथा जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 में भी उसका खुलासा नहीं किया है। यद्यपि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथित जलपान गृह बस स्टैण्ड के पीछे स्थित होना और वही से कथित शराब जप्त होना प्रकट किया है। साक्षी के द्वारा जप्ती वाले स्थान का स्पष्ट विवरण न देकर केवल जलपान गृह परसवाड़ा उल्लेखित किया जाना तात्त्विक त्रुटि के रूप में प्रकट होता है।

7— उमेन्द्र तिवारी (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। आरोपी की चाय-पान की दुकान ग्राम परसवाड़ा थाने के सामने है। घटना लगभग 2-3 वर्ष की है। उसके सामने आरोपी की दुकान से कोई जप्ती नहीं की गई थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 वह गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी से कथित जलपान गृह से शराब जप्त हुई थी। साक्षी का स्वतः कथन है कि आरोपी की सायकल की दुकान है। साक्षी ने उसके सामने तलाशी पूर्व पंचनामा प्रदर्श पी-3, तलाशी बाद पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार करने और आरोपी को गिरफ्तार करने से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी की थाने के सामने ग्राम परसवाड़ा में कोई जलपान गृह नहीं है।

8— रूपेन्द्र (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है, जो ग्राम परसवाड़ा की रहने वाली है, जिसके घर पर किराना दुकान है। घटना लगभग 2-3 वर्ष पूर्व की, वह घटना के समय आरोपी की दुकान पर गया था, जहां आबकारी वाले आये थे और उससे हस्ताक्षर करवाये थे। उसके सामने आरोपी की दुकान से कोई सामान नहीं मिला था। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1, पंचनामा तलाशी पूर्व प्रदर्श पी-3, पंचनामा तलाशी बाद प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी से कथित जलपान गृह से शराब जप्त हुई थी। साक्षी का स्वतः कथन है कि आरोपी की सायकल की दुकान है। साक्षी ने उसके सामने तलाशी पूर्व पंचनामा प्रदर्श पी-3, तलाशी बाद पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार करने और आरोपी को गिरफ्तार करने से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी की जलपान गृह की दुकान नहीं है।

9— प्रकरण में अभियोजन की ओर से एकमात्र साक्षी सीमा कश्यप (अ.सा.3) ने ही अभियोजन का जप्ती अधिकारी के रूप में की गई कार्यवाही का समर्थन किया है। यद्यपि इस जप्ती अधिकारी के द्वारा मामले में स्वयं कथित तलाशी ली जाना, पंचनामा तैयार करना, जप्ती पंचनामा तैयार करना, स्वयं शराब की जांच करना, आरोपी को गिरफ्तार करना और चालानी कार्यवाही भी स्वयं के द्वारा किया जाना प्रकट किया है। जप्ती अधिकारी सीमा कश्यप (अ.सा.3) के द्वारा की गई उक्त कार्यवाहियों का समर्थन स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। जप्ती अधिकारी ने कथित कार्यवाही के समय उक्त स्वतंत्र साक्षीगण को हमराह लिये जाने या मौके पर उपस्थित होने के संबंध में साक्ष्य में खुलासा नहीं किया है। जप्ती अधिकारी के द्वारा स्वयं कथित शराब की जांच करने के संबंध में किस आधार पर शराब होना पाया गया, इसका भी खुलासा अपनी साक्ष्य में नहीं किया गया है। जप्ती अधिकारी ने कथित शराब को जलपान गृह से जप्त किया जाना प्रकट किया है, किन्तु कथित जलपान गृह किस स्थान पर स्थित है, इसका भी खुलासा अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। इस प्रकार एकमात्र जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही का समर्थन स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा नहीं किया गया होने और उसकी कार्यवाही में निष्पक्षता, पारदर्शिता के संबंध में संदेह प्रकट होने के कारण अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रकट हो जाता है।

10— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में प्रतिषेधित मादक द्रव्य 03 पाव मेक्डावल (180 एम.एल.), एक बोतल बीयर (650 एम.एल.) को अपने जलपान गृह में अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा। ऐसी दशा में आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का महत्व नहीं रह जाता है। अतः आरोपी को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-16(4)(स), 34(1)(क), 45 के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

11— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

12— प्रकरण में जप्तशुदा शराब अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावें अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट